

फर्द अहकाम

नियम 26

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा मुकाम भादरा

कोरसिंह बनाम गीतादेवी आदि

किस्म मुकदमा धारा 88-188 नं० 63/23.02.2021 सन 2021

क्र हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख फर्द अहकाम की हुकम की तामील जारी हुआ
12-2021 05 ⁰⁴ / ₂₁	<p>आज यह प्रकरण जरिये वकील वादी की ओर से पेश किया गया। रिपोर्ट सिगेंदार होने के बाद प्रकरण दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 08.04.2021 को पेश हो।</p> <p>प्रार्थना पत्र पेश होने पर पत्रावली वैसी में ली गई। वादी स्वयं एवं वकील वादी उक्त प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही नहीं करना चाहते हैं। वकील वादी ने उक्त प्रकरण को Note Press किया। यदि कोई अस्थाई निषेधाज्ञा है तो निरस्त की जाती है। अतः पत्रावली Note Press/खाबिल की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफत न हो।</p> <p>उपखण्डाधिकारी (राजस्व) भादरा (जिला-हनुमानगढ़)</p>	<p>Note press में खाबिल (पान) दाखिल है</p> <p>अंतिम को रजिस्ट्रार पहाकर</p> <p>दिनांक 23/04/21</p> 